दिल्ली विधान समा सचिवालय

समाचार भाग-2

ी विधायी तथा अन्याममामलों ते तंबंधित तामाच्य जानकारी ी वृहकितिवार, 16 मार्च, 2000 / फाल्गुन 20, 1921 ींगकी

संख्या : 76

सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान समा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 15.03.2000 को प्राप्त हुआ:-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान समा के माननीय सदस्य कोम्प्री अंजिल राय, किरण वालिया, किरण घौधरी एवं मीरा भारदाय को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 14.3.20000 को अपराहन 12.20 खजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंत्रांत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवद्वा करने के कारण पृथम बैरिक, संसद मार्ग पर नजुरबंद किया गया ।

उन्हें, उनके समर्थकों सहित, उसी दिन अर्थात् दिनांक 14. 3. 2000 को अपराह्न 12. 30 बजे उसी स्थान से रिहा कर दिया गया ।

> एस. के. शर्मा संचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday 16March, 2000/Phalgun 26, 1921 (Saka)

No. 76

DETERMINATION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Debuty Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi on 15.03.2000:-

"I have the honour to inform you that Ms. Anjali Rai, Ms. Kiran Walia, Ms. Kiran Chaudhary and Ms. Meera Bhardwaj, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwiththeir supporters were detailed U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at Ist Barricade on Parliament Street; New Delhi at 12.20 P.M. on 14.3.2000.

They were released alongwith their supporters at 12.30 P.M. from the same place on the same day i.e. 14.3.2000.

S.K. SHARMA SECRETARY